कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ।

पत्रांक 2979/14–10 अलीगढ़:दिनांक जनवरी, 07, ,2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषयः– **सिकर–II – अलीगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा 765 के0वी0डी0सी0 सिकर–II से अलीगढ़ पारेषण लाइन (पैकेज– टी0डब्लयू0 03) के निर्माण के सम्बन्ध में।**

संदर्भ– प्रस्ताव सं0 FP/UP/TRANS/146255/2021 प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 22.12.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सिकर–II – अलीगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा 765 के0वी0डी0सी0 सिकर–II से अलीगढ़ पारेषण लाइन (पैकेज– टी0डब्लयू0 03) के निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, प्रयोक्ता एजेंसी के पत्र दिनांक 22.12.2021 द्वारा प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव के सम्बन्ध मे प्रभाग के गहन अध्ययन पर पाया गया कि परियोजना हेतु प्रस्तावित भूमि अधिसूचित संरक्षित/आरक्षित वनभूमि की श्रेणी में नहीं अती है। अतः इस प्रस्ताव को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत अलीगढ़ वन प्रभाग में भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

संलग्नक– प्रस्ताव की प्रति।

भवदीय,

07/01/2022

(दिवाकर कुमार वशिष्ठ)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ।

पत्रांक 2979/14–10 समदिनांकित।
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ को प्रस्ताव की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. वरिष्ठ महाप्रबन्धक, सीकर–II अलीगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (पावरग्रिड कार्पो0 इण्डिया लि0 की 100% पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी), अलवर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

07/01/2022

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ।

D.Man-1/Land Transfer Projects/Common letters